

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, बक्सर के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित) से 07 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 210000/- (दो लाख दस हजार रूपए) एवं दुर्घटना में मृत 01 श्रमिक के आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 310000/- (तीन लाख दस हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक एवं पिता/पति का नाम	आश्रित का नाम (संबंध)	जिलाधिकारी /श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० देव कुमार राम, श्री धनराज राम, अनु० जाति	श्रीमती शीला देवी (पत्नी)	188/17. 05.2018	ग्रा०+पो०-ओझाबरंग, था०-मुरार, प्र०-चौगाई, बक्सर	6006001 7000361 53	PNB, चौगाई, PUNB0600600	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, रेजा मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर
2	स्व० राम अवधेश सिंह, श्री राम बचन सिंह, सामान्य	श्रीमती उमरावती देवी (पत्नी)	तदैव	ग्रा०-नई बाजार मठिया, था०-बक्सर नगर, पो०+प्र०+जि०-बक्सर	3260706 4877	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBIN0012611	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राज मिस्त्री व्यवसाय में कामगार मजदूर
3	स्व० बलिराम पासवान, श्री बाशाहु दुसाध, अनु० जाति	श्रीमती सुमित्रा देवी (पत्नी)	तदैव	ग्रा०-तेतहर वीन टोली, पो०+था०-सिकरौल, प्र०-नावानगर, बक्सर	7017170 0054830	MBGB, BELAON, PUNBOMBGB0 6	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि नियोजन व्यवसाय में कामगार मजदूर
4	स्व० अजीत कुमार गोस्वामी, श्री कपिल डम्बल गोस्वामी, सामान्य	श्रीमती सुमन कुमारी (पत्नी)	तदैव	ग्रा०-मंजरॉव, पो०-रौनी, था०+प्र०-राजपुर बक्सर	5012464 7706	इलाहाबाद बैंक, राजपुर, ALLA0210367	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि व्यवसाय में कामगार मजदूर
5	स्व० राणा सिंह, श्री सालीग्राम सिंह, सामान्य	श्रीमती पंकी देवी (पत्नी)	तदैव	ग्रा०+पो०+प्र०-चौगाई, था०-मुरार, बक्सर	3585357 1316	SBI, CHAUGAI, SBIN0004889	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि एवं गैर कृषि व्यवसाय में कामगार मजदूर
6	स्व० काशी चौहान, श्री राम अवध चौहान, सामान्य	श्रीमती शनीचरी देवी (पत्नी)	219/14. 06.2018	ग्रा०+पो०-सरेंजा, था०-राजपुर, प्र०-चौसा, बक्सर	3200847 4465	SBI, सरेंजा, SBIN0004768	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि एवं गैर कृषि व्यवसाय में कामगार मजदूर
7	स्व० त्रिवेनी चौहान, श्री चेतनाथ चौहान, अनु० जाति	श्रीमती नगिया देवी (पत्नी)	तदैव	ग्रा०+पो०-सरेंजा, था०-राजपुर, प्र०-चौसा, बक्सर	3362201 8509	SBI, सरेंजा, SBIN0004768	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि एवं गैर कृषि व्यवसाय में कामगार मजदूर
8	स्व० मनोज कुमार पाठक, श्री रामाकान्त पाठक, सामान्य	श्रीमती सुनिता देवी (पत्नी)	तदैव	ग्रा०+पो०-सोहनी पट्टी, था०+प्र०+जि०-बक्सर	3041545 571	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, CBIN0281400	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कृषि मजदूर

कुल :- ₹ 310000/-

(तीन लाख दस हजार रूपए)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-24/2018 के पृष्ठ-09/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-24/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-24/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-24/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 310000/- (तीन लाख दस हजार रूपए)का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-24/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- श्रम अधीक्षक, बक्सर को उनके पत्रांक 188 दिनांक 17.05.2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-24/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-24/2018-214

पटना, दिनांक :- 16-07-18

प्रतिलिपि :- आईटी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।